E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

फोन: 0512-2246609
फैक्स: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा **A++** ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 40 /2024 दिनांक: 07/03/2024

अनापत्ति

शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या–1963/सत्तर–2–2013–16(165)/2012 टीसी दिनांक 11.12.2013, शासनादेश संख्या–710/सत्तर–2– 2014–16(165)/2012 टी०सी०, दिनांक 14 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या–1018/सत्तर–2– 2020–16(11)/2017 टी०सी०, दिनांक 17 नवम्बर, 2020, शासनादेश संख्या 3050/ सत्तर–2–2023–16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 15 सितम्बर, 2023 एवं शासनादेश संख्या 23/2016/ 772/सत्तर–2 –2016–16(116)/2015 टी०सी०–II, दिनांक 22दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक **06.03.2024** में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी पं० सहदेव प्रसाद त्रिवेदी मेमोरियल ट्रस्ट, ग्राम तेजी पुरवा रमईपुर ब्लाक विधनू, जिला कानपुर नगर द्वारा **प्रस्तावित पं० सहदेव प्रसाद त्रिवेदी लॉ कालेज, रमईपुर, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एलएल०बी० त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों एवं शासनादेश दिनांक 09.08.2012 के क्रम में जिलाधिकारी कानपुर नगर के नामित सदस्य की भूमि राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की ऑनलाइन एन०ओ०सी० एण्ड एफिलिएशन सिस्टम पर प्राप्त परीक्षण आख्या/संस्तुति (NOC ID: 0123412460001, DM Report On Land Verification Date: 20.02.2024) अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के पत्र संख्या 107/एसटी–नगर/वि०भू० जांच/2024, दिनांक 20 फरवरी, 2024 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है–

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि **ग्राम– रमईपुर, तहसील– सदर** की गाटा संख्या **1220मि0/0.410है0** पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, **अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर (जिलाधिकारी के नामित सदस्य)** की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति **दिनांक 20 फरवरी, 2024** के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०–3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002 दिनांक 27.09. 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त संस्था/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी।
7. शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
8. **विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होगें तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

यह अनापत्ति संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है (जो शैक्षिक सत्र 2024–25 से मान्य होगी), यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

डा0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

*प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–***

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक/सचिव, **प्रस्तावित पं0 सहदेव प्रसाद त्रिवेदी लॉ कालेज, रमईपुर, कानपुर नगर ।**
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

डा0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner